उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः 5/2015/2237/24-पी-2-15-सा0(117)/2015

<u>लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर, 2015</u>

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री बिद्या सागर तिवारी, मुख्य अभियंता, हरदुआगंज थर्मल पावर प्रोजेक्ट कासिमपुर, अलीगढ को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ में निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) के पद पर आदेश निर्गत करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः 5/2015/2237(1)/24-पी-2-2015, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5- सम्बंधित अधिकारी।
6- [redacted] निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा।
7- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः5/2015/2237(2)/24-पी-2-15-सा0(117)/2015

लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अजीत सिंह, निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी को पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी में निदेशक (तकनीकी) के पद पर आदेश निर्गत करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः 5/2015/2237(3)/24-पी-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
6- सम्बन्धित अधिकारी ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा।
8- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः5/2015/2237(4)/24-पी-2-15-सा0(117)/2015

<u>लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर, 2015</u>

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री नरेन्द्र अग्रवाल, मुख्य अभियंता (से0नि0) को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) के पद पर आदेश निर्गत करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः5/2015/2237(5)/24-पी-2-2015, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ ।
6- सम्बन्धित अधिकारी ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा।
8- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

https://upsanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः5/2015/2237(6)/24-पी-2-15-सा0(117)/2015

लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राकेश कुमार वर्मा, मुख्य अभियंता (से0नि0) को पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी में निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) के पद पर आदेश निर्गत करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः5/2015/2237(7)/24-पी-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी ।
6- सम्बन्धित अधिकारी ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा।
8- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्याः5/2015/2237(8)/24-पी-2-15-सा0(117)/2015

लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, मुख्य अभियंता (से0नि0) को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ में निदेशक (वाणिज्य) के पद पर आदेश निर्गत करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

संख्याः5/2015/2237(9)/24-पी-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ ।
6- सम्बन्धित अधिकारी ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा।
8- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

एन0एच0 रिज़वी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in